भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1490
दिनांक 10 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मेडिकल स्टोर/केमिस्ट की दुकानों पर अंकुश लगाना

1490. श्री रंजीत सिंह हिंदूराव नाईक निम्बालकर:
श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में बड़ी संख्या में मेडिकल स्टोर/केमिस्ट की दुकानें न तो औषधि नियंत्रण मानदंडों की आवश्यकताओं को पूरा करती है और न ही दवाओं की बिक्री के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्य करती हैं अर्थात् प्रमाणित फार्मासिस्टों की अनुपलब्धता, दवाओं का अपूर्ण रिकॉर्ड, शीतागार सुविधाओं की कमी आदि;

(ख): यदि हां, तो ऐसी प्रथाओं पर रोक न लगाने और इस मामले में ढुलमुल रवैया अपनाने के क्या कारण हैं; और

(ग): सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): मेडिकल स्टोर/केमिस्ट स्टोर संबंधित राज्य औषध नियंत्रण विभाग और राज्य फार्मेसी परिषद के क्षेत्राधिकार में आते हैं। देश में औषधियों की बिक्री और वितरण को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके नियमों के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (एसएलए) द्वारा विनियमित किया जाता है। एसएलए को किसी भी गैर-अनुपालन के मामले में कड़ी कार्रवाई करने के लिए कानूनी रूप से अधिकार दिए गए हैं।

तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार,वर्तमान तिथि के अनुसार देश में लगभग 16 लाख पंजीकृत फार्मासिस्ट उपलब्ध हैं और लगभग 03 लाख फार्मासिस्ट पूरे देश में फार्मेसी संस्थाओं से प्रति वर्ष उत्तीर्ण हो रहे हैं, इस तरह देश की स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के औषध नियंत्रकों और अन्य हितधारकों को नोटिस/परामर्शिकाएं/पत्र जारी किए हैं।

केंद्र सरकार ने औषध विनियामक प्रणाली को सशक्त करने के लिए 651.97 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं जिसमें "राज्य औषध नियामक प्रणाली के सुदृढ़ीकरण" के हिस्से के रूप में मौजूदा राज्य प्रयोगशालाओं का उन्नयन, नई औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और मौजूदा राज्य औषधि नियंत्रण कार्यालयों का उन्नयन शामिल है।

****